४८

**बिहार सरकार**
**ग्रामीण कार्य विभाग**
**सकारण आदेश**

सकारण आदेश संख्या–14 / अ0प्र0–14–95 / 2025 4239 /पटना, दिनांक– 6.4.25

संवेदक Manoj Kumar Yadav, (Reg No. 2170511) Add:- At-Vill-Akabrpur Benk, Post-Benk, Dist-Darbhanga, Bihar Pincode-847203 को कार्य प्रमंडल, मनिहारी के अधीन PMGSY योजनान्तर्गत L032 T04 to Dilarpur Seej (Package No. BR-16R-359) पथ का निर्माण कार्य आवंटित किया गया। एकरारनामा संख्याः–106SBD/2018-19 के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 28.02.2019 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 27.02.2020 था।

संदर्भित पथ का निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु संवेदक को अनेको स्मार के बावजूद भी कार्य पूर्ण नहीं गया। तद्लोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मनिहारी के सकारण आदेश पत्रांक 2100 दिनांक 22.09.2022 के द्वारा एकरारनामा संख्याः–106SBD/2018-19 को विखंडित कर दिया गया।

उक्त विखंडनोपरान्त Empowered Standing Commitee के पत्रांक 383 दिनांक 14.02.2023 द्वारा संवेदक को अपना साक्ष्य सहित रखने का मैका दिया गया था जिसके आलोक में समर्पित अभ्यावेदन में कोई ठोस कारण नहीं रहने के कारण संवेदक के आवेदन को अस्वीकृत किया गया।

विभागीय निर्णय के विरूद्ध संवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 संख्याः–7293 / 2024 दायर किया गया। संदर्भित वाद में दिनांक 10.01.2025 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग,कार्य प्रमंडल, मनिहारी के सकारण आदेश पत्रांक 276 दिनांक 10.02.2025 द्वारा दिनांक 10.02.2025 के प्रभाव से संवेदक मनोज कुमार यादव एकरारनामा संख्याः–106SBD/2018-19 को पुनर्बहाल किया गया।

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मनिहारी के पत्रांक 456 दिनांक 12.02.2026 के द्वारा संबंधित पथ को Foreclose करने की आवश्यकता बतायी गयी। इसी क्रम में नोडल पदाधिकारी, PMGSY ने प्रतिवेदित किया गया कि " अगर समय से कार्य सम्पादित किया जाता, तो 27.02.2020 तक कार्य पूर्ण हो जाता। पथांश का कटाव अथवा लक्षित बसावट के विस्थापन की स्थिति उत्पन्न नहीं होती क्योंकि कटवा की स्थिति 2020–21 के बाढ़ में प्रतिवेदित है।

इससे स्पष्ट है कि संदर्भित पथ का निर्माण कार्य ससमय नहीं किया जाना, संवेदक Manoj Kumar Yadav, (Reg No. 2170511) पूर्णतः दोषी है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विभागीय समीक्षोपरान्त बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या–8123 दिनांक 19.12.2007 की कंडिका 11(क) (vi) एवं 11 (ख) (ii) के आलोक में संवेदक Manoj Kumar Yadav, (Reg No. 2170511) Add:- At-Vill-Akabrpur Benk, Post-Benk, Dist-Darbhanga, Bihar Pincode-847203 के निबंधन संख्याः– 2130318, PAN No. AEIPY6057R को अगले 03 (तीन) वर्षो के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

ह0 02.04.26
(जय किशोर ठाकुर)
अभियंता प्रमुख

P.T.O

त

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–14–95 / 2025 4239 / पटना, दिनांक– 6·4·26

प्रतिलिपि– संवेदक Manoj Kumar Yadav, (Reg No. 2170511) Add:- At-Vill-Akabrpur Benk, Post-Benk, Dist-Darbhanga, Bihar Pincode-847203 को सूचनार्थ प्रेषित।

02-04-26

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–14–95 / 2025 4239 / पटना, दिनांक– 6·4·26

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव / सचिव / अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग / भवन निर्माण विभाग / जल संसाधान विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / नगर विकास विभाग / उर्जा विभाग / कृषि विभाग, बिहार, पटना / पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना / सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग / सभी अधीक्षण अभियता / सभी कार्यपालक अभियंता / सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02-04-26

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–14–95 / 2025 4239 / पटना, दिनांक– 6·4·26

प्रतिलिपि– सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

02-04-26

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–14–95 / 2025 4239 / पटना, दिनांक– 6·4·26

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, निबंधन, ग्रामीण कार्य विभाग / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–14 एवं प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02-04-26

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–14–95 / 2025 4239 / पटना, दिनांक– 6·4·26

ebsite

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है इस पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करा दिया जाय।

02-04-26

अभियंता प्रमुख